तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील 18/2028 बउनवान मानाराम बनाम धुड़ाराम वगैरह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18.02.2025	**न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर** पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश विश्नोई आर ए एस **आदेश** दिनांक 18.02.2025 उपस्थिति 1. अपीलांट की तरफ से अधिवक्ता श्री छैलसिंह राठौड़ 2. रेस्पोडेंटस बावजूद सूचना अनुपस्थित। अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेंटस को जरिये सम्मन तलब किया गया बावजूद सूचना अनुपस्थित। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अपीलांटस की विद्वान अधिवक्ता की पत्रावली पर बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने बहस करते हुए बताया कि अपीलांटस एवं उतरदाता संख्या 01 से 11 एक ही परिवार के सदस्य है एवं स्व0 पीराराम के वंशज है कि अपीलांट एवं प्रतिवादी संख्या 01 स 11 की पैतृक एवं पुश्तैनी भूमि मौजा बायतु चिमनजी तहसील बायतु जिला बाड़मेर में खसरा संख्या 814 रकबा 94.06 बीघा, खसरा संख्या 819 रकबा .04 बिस्वा, खसरा संख्या 820 रकबा 26.05 बीघा, खसरा संख्या 848 रकबा 20.13 बीघा, खसरा संख्या 853 रकबा 21. 13 बीघा कुल रकबा 163.01 बीघा की स्थित है। जिसमें अपीलांट की भूमि पैतृक होने से हक हिस्सा है क्योंकि विवादित आराजी वक्त सेटलमेंट अपीलांट के पड़दादा पीराराम के नाम खातेदारी में दर्ज हुई थी। पीराराम की मृत्यु के पश्चात विवादित आराजी अपीलांट के दादा उमाराम व उसके भाई प्रहलादराम के नाम दर्ज हुई जिससे विवादित आराजी प्रत्येक खसरे में अपीलांट/वादी का 1/8 हिस्सा पैतृक रूप से निहित था किंतु उतरदाता संख्या 01 छल एवं कूटरचना द्वारा खसरा संख्या 853 रकबा 21.13 बीघा भूमि उमाराम के नाम दर्ज	

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

	1/2 हिस्से की भूमि गलत रूप से फर्जी बेचाननामा उमाराम के नाम से दिनांक 15.09.1995 को निष्पादित कर उसे दिनांक 21.09.1995 को पंजीबद्ध करवा कर अपीलांट उक्त खसरे में उसके विधिक 1/8 हिस्से की भूमि से वंचित कर दिया जो गलत था। इसलिए अपीलांट वादी ने उक्त गलत बेचान को निरस्त करते हुए सम्पूर्ण विवादित आराजी में अपने 1/8 हिस्से की भूमि की घोषणा का वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आलोच्य आदेश दस्जावेजात पर गौर किये बिना जल्दबाजी में पारित किया गया जो विधि की दृष्टि से दूषित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया जो विधि सम्मत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत वाद मे प्रतिवादीगण से बिना कोई जबावदावा प्राप्त किये, बिना कोई साक्ष्य सकंलित किये ही मनमाना आदेश पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र सरसरी तौर पर अवलोकन कर अपीलाधीन आराजी के संबंध में वादीगण द्वारा वाद में बैचाननामा दिनांक 15.09.1995 पंजीयन दिनांक 21.09.1995 को निरस्त करने हेतु प्रार्थना चाई गई तथा उक्त वादग्रस्त भूमि के संबंध में पूर्व में वाद संख्या 210/2008 इसी न्यायालय में विचाराधीन है अतः वादी का वाद इसी स्टेज पर खारिज किये जाने योग्य होने से खारिज किया गया। जो आदेश काबिल खारिज किये जाने योग्य है। वास्तविक रूप से यदि न्यायालय द्वारा वाद का चलन किया जाता, मौका रिपोर्ट आदि मंगवाई जाती तो वादग्रस्त भूमि पर अपीलांटगण का कब्जा काश्त, रहवासी ढाणीयां, पानी के टांके, चारवाडे इत्यादि की वास्तविक स्थिति का पता चलता और अपीलांटगण अपने हकुको से महरूम नहीं रहते, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र अन्य वाद के विचारण होने के आधार पर उक्त वाद को आदेश 07 नियम 11 सी पी सी के प्रार्थना–पत्र के आधार	

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

पर खारिज कर दिया जो विधि सम्मत नहीं है। अतः अपीलांटगण की अपील को स्वीकार फरमाया जावे।

अधिवक्ता उभयपक्ष की पत्रावली पर बहस सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि अधीनस्थ न्यायलाय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पूर्व में वाद संख्या 210/2008 विचाराधीन होने के कारण अपीलांटस/वादी का वाद खारिज किया गया जबकि अपीलांट/वादी ने अपने हक हिससे की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया गया जिसमें संबंध में अपीलांटस को वाद पेश करने का पूर्ण अधिकार है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के वाद को तकनीकी आधार पर ही खारिज किया गया। अपीलांट/वादी को अपने वाद का अभिवचन करने का पूर्ण अधिकार है और उसे इससे वंचित करना न्यायसंगत नहीं ठहरता। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते समय वाद की सुनवाई हेतु निर्धारित प्रक्रिया (Procedure) का पालन नहीं किया गया। वाद में तनकीयात कायम की गई है लेकिन निर्णय तनकीवार पारित नहीं किया गया। अपीलांट/वादी को सुनवाई का मौका भी नहीं दिया गया है। अतः अभिलेख पर प्रकट इन सब तथ्यों को देखते हुए अपीलांट की अपील को वाद अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के विचारण हेतु संपूर्ण प्रक्रियागत कार्यवाही पूर्ण कर गुणावगुण पर निर्णीत किये जाने हेतु रिमाण्ड करना उचित समझता हूँ।

लिहाजा अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बायतु द्वारा राजस्व वाद संख्या 146/2011 बअनवान मानाराम बनाम धुड़ाराम वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 19.06.2015 को निरस्त कर मामला इस निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट के द्वारा प्रस्तुत

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

वाद में तनकीयात कायम कर, उभयपक्ष की तनकीवार साक्ष्य ली जाकर बाद समुचित सुनवाई निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार नंबर से कम होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश सरे इजलाश सुनाया गया।

18/2/2025

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर